

August 19, 2026

National Stock Exchange of India Limited ("NSE") Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla Complex Bandra [E], Mumbai – 400051	BSE Limited ("BSE") Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
NSE Scrip Symbol: BLSE	BSE Scrip Code: 544107

Subject: Corrigendum-Newspaper Advertisements for attention of Equity Shareholders of the Company in respect of information regarding the 10th Annual General Meeting (AGM) and other related information

Dear Sir / Madam,

In continuation of the Company's earlier announcement dated August 18, 2026, we hereby submit the corrigendum to the advertisement published in *Jansatta* (Hindi Language, Delhi Edition). The corrigendum shall form an integral part of, and shall be read in conjunction with, the original advertisement published in *Jansatta* on August 18, 2026.

Further, due to a typographical error in the aforesaid publication, the Company has once again published the complete newspaper advertisement in *Jansatta* (Hindi Language, Delhi Edition) today, i.e., Wednesday, August 19, 2026, for the attention of the equity shareholders of the Company. The advertisement contains information relating to the Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, September 15, 2026, at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") facility, along with other related information.

The said newspaper advertisement has also been uploaded on the Company's website at <https://blseservices.com/>.

For BLS E-Services Limited

.....

Neha Baid**Company Secretary and Compliance Officer****ICSI Membership No.: A-33753**

Encl: as above

केनरा बैंक Canara Bank कनारा बँक ऑफ़ इंडिया	शाखा: पितरसुता, हापुड़ ई-मेल: cb18559@canarabank.com
प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया गया वित्तीय संपत्ति और सूचना ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन।	

हम केनरा बैंक, अपनी शाखा/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्व्यय एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय 11। की धारा 13(2) के तहत विन्यासिकृत तिथि को मांग सूचना जारी किए हैं। विषय यह है कि आपके द्वारा मूलधन, ब्याज आदि की किरत के भुगतान में चूक हुई है। बकाया नीचे दिया गया है। आगे विन्यासिकृत उधारकर्ता/ मालिक/ गारंटीदाता को जारी की गई मांग सूचना डिलीवर कर दी गयी है। आपको एवट्ट द्वारा इस मांग सूचना के प्रकाशित होने से 6० दिन की अवधि के भीतर अतः ब्याज सहित उपर्युक्त राशि केनरा बैंक को भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाता है। ऐसा न करने पर केनरा बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत अपारकर्ता/ मालिक/ बंधककर्ता/ गारंटीकर्ता की प्रतिक्रिया आस्तियों को कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिक्रुत आस्तियों के वित्तीय आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत विन्यासिकृत किसी भी प्रतिभूतिक्रुत आस्तियों को विक्री, पट्टे या अन्यथा माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जात है।

अज्ञी: तसलीम आलम पुत्र सलीमुद्दीन, 419, मस्जिदा जादव 2, पितरसुता हापुड़, 245304, मोबाइल नंबर 9971921270.

संपत्ति का विवरण
कुल देय राशि 1६,44,743.66 (रु. सोलह लाख चौबीसहजार हजार सात सौ तेतावित और छसठ पैसे माग)। एमपीए दिनांक 22.09.2022, संपत्ति विवरण: एक अतिथय मकान, क्षेत्रफल 115 वर्ग यार्डस (96.19 वर्ग मीटर), जिसका एमपीएन नंबर 86711 (खसत नं. 1278 का भाग), मोहल्ला गढ़ी नई आबादी, पितरसुता ईन्डगाट रोड, इरावत, तहसील घौलाना, जिला हापुड़ में स्थित है जोकि तस्लीम आलम पुत्र सलीमउद्दीन के नाम से स्थित है, चौहदई: पूर्व- गली और खाली मकान, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- इस्लामउद्दीन का मकान, दक्षिण: हदीफ का मकान, CersalId: 400059317466.

नोटिस दिनांक: 13.08.2026	प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक
---------------------------------	--------------------------------------

BLS E-SERVICES	बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड (सीआईएन: U49990DL2016PLC298207)
पंजीकृत कार्यालय: जी-40ी-1, एक्सटेशन मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली – 110044, भारत	
कार्पोरेट ऑफिस: प्लॉट नंबर 865, उद्योग विहार, केज ए, बुकशाम-122016, हरियाणा, भारत, फ़ोन नं: 011-45795002, ईमेल: cs@blservices.com, वेबसाइट: blservices.com	

बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड की 10वीं वार्षिक आम बैठक

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") की 10वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 15 सितंबर, 2026 को अपररा 03:00 बजे (भारतीय समय के अनुसार) वीडियो कॉन्फ़रेंस /अन्य ऑडियो वीडियो संचानों (टीसी/आरपीएम) की सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक में एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यो का निषादन किया जाएगा। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सचें (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रबंधीकरण अधिनियम) विनियम, 2015 ("सूची सूचीबद्धता विनियम"), को कॉर्पोरेट कार्य संहानिय ("एम्पटीए") द्वारा जारी 22 सितंबर, 2026 से लागूमान परिचय संख्या 03 /2025 तथा एम्पटीए और सचें द्वारा जारी अन्य लागू परिचयों के सहपणित करते हुए, सदस्यों की किसी सझाझ रखत पर भीतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना, ई-नोटिड की प्रक्रिया एवं निर्देश तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियां आम सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते 14 अगस्त, 2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए), अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी अथवा डिजिटलाइज्ड प्रिभागी(यों) के पास उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना की भीतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी जाएगी, जो cs@blservices.com पर अपने नाम, फ़ोनियरे संख्या /सीपी आईडी तथा प्राइवक आईडी का रजलेख सदस्यें हुए इसकी मांग करेंगे।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपना ई-मेल पता अपने डिजिटलाइज्ड प्रिभागी(यों) के माध्यम से डिजिटलाइज्ड के पास पंजीकृत करवा लें। भीतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में, यदि कोई हों, तो ई-मेल द्वारा कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट ("आरटीए") के पास cs@blservices.com / einward.ris@kfnitech.com पर अपने नाम, फ़ोनियरे संख्या/सीपी आईडी तथा प्राइवक आईडी का रजलेख करते हुए इसकी मांग करेंगे।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 कंपनी की वेबसाइट www.blservices.com तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी उन सदस्यों को ई-नोटिड सुविधा प्रदान करेगी, जिनके नाम 08 सितंबर, 2026 (मंगलवार) को सदस्यों के रजिस्ट्रार/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज होंगे ("नोट-ऑफ कंपनी") वे सदस्य केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन") के रूप में माध्यम से लिमिटे ई-नोटिड अथवा एजीएम के दौरान ई-नोटिड द्वारा अपने वोटिड का अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। रिपोर्ट ई-नोटिड की अवधि 11 सितंबर, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से प्रारंभ होकर 14 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त हो जाएगी। बीसी।के के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होने की प्रक्रिया, ई-नोटिड के माध्यम से शेयरधारक अथवा अपना ई-मेल पता पंजीकृत न कराने वाले सदस्यों द्वारा ई-नोटिड के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया सहित सभी निर्देश एजीएम की सूचना में प्रदान किए जाएंगे। बीसी/ओपीएम के माध्यम से नोटक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणना (कौम) निर्धारित करने के प्रयोजन से उपस्थित सदस्यों के रूप में गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतिम लाभार्थ के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु अगिलेख तिथि 08 सितंबर, 2026 होगी। वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से लाभार्थ से प्राप्त आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगी। अतः अंतिम लाभार्थ का भुगतान अग्यवर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") के प्रचलत किया जाएगा। सदस्यों से अपुर्यात किया जाता है कि जला, टीडीएसर वर निर्धारित करने में आरटीए और कंपनी को सहाय बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवायेज 08 सितंबर, 2026 को व्यवसाय की समाप्ति से पूर्व आरटीए को einward.ris@kfnitech.com तथा कंपनी को dividend@blservices.com पर भेज दें। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों, शुल्क/संराशियों टीडीएस की हतों तथा इसके लिए आवश्यक विवरण/ वस्तावकों के संबंध में सदस्यों से अपुर्यात है कि वे आवश्यक अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा इस संबंध में एजीएम की सूचना का सूरम्भें लें।

सेबी के निर्देशानुसार, लाभार्थ का भुगतान केवल इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा। डीमैट रूप में शेयरधारक सदस्य, जो अपने बैंक खाते के विवरण उपलब्ध करवाएं/ बदलएं/ लुप्तारना चाहते हैं, वे तत्काल अपने संबंधित डिजिटलाइज्ड प्रिभागी के पास उपरोक्त विवरण अद्यतन करवा लें। लाभार्थ का भुगतान करते समय कंपनी/आरटीए ऐसे डीमैट शेयरों के मामले में केवल डिजिटलाइज्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण का ही उपयोग करने के लिए बाध्य है। भीतिक रूप में शेयरधारक सदस्य, यदि कोई हों, तो अपने बैंक खाते का विवरण, जैसे बैंक शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी, शाखा का एमआईसीआर कोड, खाते का प्रकार तथा खाता संख्या, आरटीए को ई-मेल द्वारा einward.ris@kfnitech.com पर उपलब्ध कराएं।

बीएलएस ई-सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता/—नेहा बैद	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी आईसीएसआई सारस्वता संख्या: एसीएस 33753
---	---

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.08.2026

कम्पनी/गारंटर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1- शाखा: ताजपुर एवन कुमार जैन, आशीष जैन, द्वारा कानूनी उन्तराधिकारी आशीष जैन एवं अंकुश जैन।	बंधक मकान संख्या 23, नगर निगम संख्या 43/492के/23ई, क्षेत्रफल 194.73 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 968 के भाग पर स्थित, पुष्पांजलि विहार एक्सटेंशन, कॉलोनी मीना सिंकरन, तहसील एवं जिला आगरा (उ.प्र.)-282007। सीमाएं: पूर्व- 9 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम: प्लॉट संख्या 24, उत्तर: 12 मीटर चौड़ा रास्ता, दक्षिण: दक्षिण संख्या 22।	09.06.2026	14.08.2026	रु 40,30,832/- और उस पर जुद ब्याज सहि कोई हों।
दिनांक:— 18.08.2026	स्थान — आगरा	प्राधिकृत अधिकारी आईडीबीआई बैंक		

pnb पंजाब नैशनल बैंक भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)	punjab national bank ...the name you can BANK upon!
--	--

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गर्नन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक /प्रभारित हैं, का रचनात्मक /भौतिक/सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ हैं, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	खाते का नाम	कर्मदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता
1.	A) शाखा: नोएडा सेक्टर-12 B) वरुदेई इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, (बंधककर्ता/उधारकर्ता) C) कृष्णेश्वर प्राइवेट लिमिटेड, (बंधककर्ता/उधारकर्ता) D) श्रीमती राशि निरि (नियंत्रण और अब मृतक) पत्नी श्री कैलाश निरि के कानूनी वारिस, पत्नेट संख्या—A—204, एपेक्स द फ्लोर्स अपार्टमेंट्स, GH-11, सेक्टर-18, वसुंधरा, गाजियाबाद – 2०1012, उत्तर प्रदेश श्री कैलाश निरि पुत्र काशी नाथ निरि (निदेशक/गारंटर), पत्नेट संख्या—A—204, एपेक्स द फ्लोर्स अपार्टमेंट्स, GH-11, सेक्टर-18, वसुंधरा, गाजियाबाद – 2०1012, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा: गौव – मिश्रीली – मधिया, पोस्ट – नरैन, जिला – बलिया, उत्तर प्रदेश – 277001।	कार्यालय संख्या— 07, दूसरी मंजिल, प्लॉट संख्या— 11, रामेश्वर टावर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 2०1010 कार्यालय संख्या— 07, दूसरी मंजिल, प्लॉट संख्या—A—204, एपेक्स द फ्लोर्स अपार्टमेंट्स, GH-11, सेक्टर-18, वसुंधरा, गाजियाबाद – 2०1012, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा: गौव – मिश्रीली – मधिया, पोस्ट – नरैन, जिला – बलिया, उत्तर प्रदेश – 277001।

नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) **सम्पत्तियां** को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है। किंतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर : <https://baanknet.com> & <http://pnbindia.in> देखें। (5) सभी सांकेतिक बकाया/ एंटेस्टेड बकाया/ पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, यदि कोई हो, प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्राहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक योलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक दस्तावेजों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक : 18.08.2026, स्थान : ग्रेटर नोएडा

टाटा कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतनगर कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013
मांग सूचना
धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित
यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्माणित है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर ए, 11वीं मंजिल, गणपतनगर कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400013 में स्थित है तथा अन्य स्थानों के अलावा नई दिल्ली में इस्का एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है। कि दिनांक 24.11.2023 के आदेशों द्वारा, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 230 से 232 को धारा 66 तथा अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") हस्तांतरणकर्ता के रूप में तथा टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") हस्तांतरणग्राही के रूप में के बीच व्यवस्था की योजना को विधिवत स्वीकृत किया है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरणकर्ता कंपनियां) अपने उपक्रम सहित एक ज्ञातू प्रतिधान के रूप में टीसीएल में विलय हो गई हैं, जिसमें सभी संपत्तियां, आस्तियां, आस्तियां, अधिकार, लाभ, हित, कर्तव्य, दायित्व, देयताएं, अनुबंध, करार, प्रतिभूतियां आदि दिनांक 01.01.2024 से प्रभावी रूप से सम्मिलित हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसार, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी कानूनी आवश्यक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल उसके अनुसार (उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं) से उसी की मांग करने का हक्कदार है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित बाध्यकारियों/कानूनी प्रतिभूतियों/कानूनी उत्तराधिकारियों (उधारकर्ताओं/ सह-उधारकर्ताओं) ने टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) से प्राप्त मूलधन के साथ—ब्याज और अन्य भारों के पुनर्गुणन में चूक की है। नीचे उल्लिखित ऋण खातों को टीसीएल के बकायों के पुनर्गुणन करने में आई चूक के अनुसार न आरंभ/आई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-उत्प्रेक्षित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीसीएल ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिकृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित सांविधिक मांग सूचनाएं जारी की हैं, जिसमें उधारकर्ताओं से उक्त बकाया राशि, मांथवा के ब्याज और लागत सहित, सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकवा करने का आदेशन किया गया है, ऐसा करने में विफल रहने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें नीचे वर्णित संपत्तियों पर उधारकर्ताओं द्वारा टीसीएल के पक्ष में उचित प्रतिभूति हित का प्रवर्तन भी शामिल है।

ऋण खाता सं.	दायिककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी(ओं)/ कानूनी प्रतिभूति(ओं) का नाम	एम्पटी तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि/ मांग सूचना की तिथि
5900857 (Restructured Loan No. TCFLA03860 000110716578) & 6025576	1. राज तामर उपमान राज टोमर, बी-54, एएसएफ-1, ईस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110093 2. मोनिका टोमर, बी-54, सेकंड फ्लोर-1, ईस्ट ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110093 3. मेसर्स बेला क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक के माध्यम से, ए-41/10, गार्डन फ्लोर, दिलशाद गार्डन, शाहदरा, दिल्ली-110032 4. मेसर्स बेला क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड और: बी-54, एएसएफ, ज्योति नगर, शाहदरा, दिल्ली-110093	10-05-2026	रु. 2,76,29,348 /— और 27.05.2026

सुरक्षित आस्ति का विवरण: निर्मित प्रीहोड्ड तुल्य तल, छत एवं टैरेस अधिकारों सहित, क्षेत्रफल 385.53 वर्ग मीटर अर्थात 461.1 वर्ग गज, संपत्ति संख्या बी-56, खसरा संख्या 371 एवं 372 का भाग, भूमि में स्वामित्व एवं अन्य अधिकार, ईस्ट ज्योति नगर की आबादी, ग्राम सिस्करदपुर एवं गोकुलपुर, शाहदरा, दिल्ली-110093 में स्थित, जिसका अधिक विस्तृत विवरण दिनांक 11.12.2015 की विक्षय विलेख में वर्णित है, जो राज तामर के पक्ष में निष्पादित की गई। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 45 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: सॉसिस लेन, उत्तर: संपत्ति संख्या बी-57, दक्षिण: संपत्ति संख्या बी-55

21189967	1. मेसर्स सुभाष ब्रह्मर्, अपने साझेदार के माध्यम से, 2606, नई सरक, दिल्ली-1100062, चंदर प्रकाश बजाज उपमान चंदर बजाज, जीबी-30, शिवाजी एक्स्प्ले, टेंगोर गार्डन, दिल्ली-110027 3. सुरेश बजाज, जीबी-30, शिवाजी एक्स्प्ले, टेंगोर गार्डन, दिल्ली-110027	06-05-2026	रु. 1,02,59,277 /— और 14.05.2026
-----------------	---	-------------------	----------------------------------

सुरक्षित आस्ति का विवरण: संपत्ति संख्या 2622—2626, क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, गली बट्मल, रोशनपुरा, नई सरक, दिल्ली-110006 में स्थित, जिसका अधिक विस्तृत विवरण दिनांक 04.10.2012 की दान विलेख में वर्णित है, जो चंदर बजाज के पक्ष में निष्पादित की गई। सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: गली, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: मूखंड का भाग, दक्षिण: अन्य की संपत्ति

5608989	1. पीरैड कुमार उर्फ पीरैड, मकान संख्या: जे-67, सेक्टर-10, गीएलएफ मॉडल टाउन, तहसील बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 मो.: 91-9313440555 इसके अलावा: मकान संख्या-113, सेक्टर-2, फरीदाबाद, हरियाणा-121007 2. इसके अलावा: भूख संख्या 77, हुडा अनाज मंडी, बल्लमगढ़, हरियाणा-121007 3. रासी, मकान संख्या: जे-67, सेक्टर-10, गीएलएफ मॉडल टाउन, तहसील बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा-121006 इसके अलावा: मकान संख्या-113, सेक्टर-2, फरीदाबाद, हरियाणा-121007	07-06-2026	रु. 2,02,91,561 /— और 08.06.2026
----------------	---	-------------------	----------------------------------

सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण: आवासीय मूखंड संख्या 113 का समस्त भाग एवं अंश जोकि क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर सेक्टर 2, अर्बन एस्टेट फरीदाबाद, तहसील बल्लमगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है, जिसका अधिक विशिष्ट रूप से वर्णन दिनांक 11.08.2014 की विक्षय विलेख में किया गया है, जो पीरैड के पक्ष में निष्पादित की गई। जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: मूखंड संख्या 112, दक्षिण: मूखंड संख्या 114, पूर्व: मूखंड संख्या 104, पश्चिम: सड़क

उपयुक्त मांग नोटिसों की प्रभावी सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हम एतद्वारा उक्त नोटिसों की सेवा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से कर रहे हैं। उपर्युक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एतद्वारा उक्त उल्लिखित दस्तावेजों का इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर निवेदन करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर टीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। विशेष रूप से, उधारकर्ताओं को यह भी नोटिस दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, वे उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित नहीं करेंगे।

दिनांक: 18/०8/2०2६
स्थान: दिल्ली और फरीदाबाद (एनसीआर)

प्राधिकृत अधिकारी

रुनें टाटा कैपिटल लिमिटेड

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली

नई दिल्ली


VISTAAR
FINANCE
Your Future, Our Passion

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

राशि कार्यालय:— प्लॉट नं 59-60-23, 22वीं फ़्लैश, 29वीं मैन, बीटीएम लेआउट स्टेशन 2, बैंगलुरु-560076.

www.vistaarfinance.com

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि, अयोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किए थे, जिसमें उक्त नोटिस की प्रसि की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि तथा उस पर आगे का ब्याज चुकाने के लिए कहा गया था। उक्त शर्तियों का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्वारा उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तारीख को "जैसा है, जहाँ है और जो कुछ भी है, उसी आधार पर" के आधार पर सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

प्राइवक की जानकारी

1. लैन संख्या — 0293SBML00515 मांग नोटिस की तारीख — 13-05-2026 उधारकर्ता का नाम —
अनीशी डी सह-उधारकर्ता का नाम : सलमा ए. शादाब खान मांग नोटिस के अनुसार कुल बकाया भारतीय रुपयों में — रुपयें 20,83,943.88 /— सांकेतिक कब्जा लिया गया — 12-08-2026 संपत्ति का विवरण — अनीशी डी की संपत्ति संपत्ति स्थित खसरा नं. 1667, कचन पार्क, ग्राम लेनी, लोनी गाजियाबाद 201102 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश । रास्ता 20 फीट चौड़ा अन्य लोगों की संपत्ति, इंडियाश की संपत्ति, सकील की संपत्ति

उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्वारा संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन करने के लिए आग्रह किया जाता है। संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का उधारकर्ता(ओं) को एतद्वारा विनियम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30-दिन का नोटिस जारी किया गया है. अन्याय सुस्था हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, नोटिस प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के बाद बंधक रखी गई संपत्तियां बेच दी जाएगी।

दिनांक: 19-08-2026

स्थान: लखनऊ.

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता/—अधिकृत अधिकारी

pnb punjab national bank Together for the better	परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, लुधियाना, प्रथम मंजिल, साइट संख्या 5, फिरोजपुर रोड, लुधियाना ईमेल: cs4540@pnb.bank.in
---	---

[नियम-8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, **पंजाब नैशनल बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राा होने को तिथि से 60 दिनों के भीतर यहां नीचे वर्णित शर्तियों को अदायगी के लिए कर्नलर को आमंत्रित करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्नदारी/गारंटर्स/हेनकनताओं द्वारा वर्णित राशि को अदायगी करने में असफल रहने पर कर्नदारी/गारंटर्स/हेनकनताओं व सामान्य तौर पर जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अयोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों